उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सामान्य)अनुभाग-3
संख्या-12/सा-3-1005/दस-2014-308/97 टी0सी0
लखनऊ: दिनाँक : 07 नवम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनाँक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के दिनाँक 01-01-2006 से अभिनवीकरण संबंधी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008-308/97, दिनाँक 08-12-2008 के क्रम में न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरें निर्धारित किये जाने संबंधी निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1358/दस-2010, दिनाँक 19-07-2010 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1648/दस-2010, दिनाँक 12-10-2010 सपठित कार्यालय-ज्ञाप/ शुद्धि-पत्र संख्या-सा-3-जी0आई0-02/दस-2014-308/97 टी0सी0, दिनाँक 14 जुलाई, 2014 के साथ संलग्न तालिका के क्रम संख्या- 4 पर उल्लिखित वेतनमान में निर्धारित न्यूनतम पेंशन को निम्नवत् पढ़ा जाये:-

क्रम संख्या	दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान	दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे		शासनादेश दिनाँक 19-07-2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन	संशोधित न्यूनतम पेंशन	शासनादेश दिनाँक 12-10-2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन	संशोधित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
1	2	3	4	5	6	7	8
4-	4500-125-7000	5200-20200	2800	5680	5585	3500	3500

2- कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 14 जुलाई, 2014 के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक-20 पर मुद्रण की त्रुटि से स्तम्भ-3 में वेतनमान रू0 67000-7900 अंकित हो गया है जिसे रू0 67000-79000 पढ़ा जाये।

3- कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 14-07-2014 उपर्युक्त सीमा तक दिनाँक 14-07-2014 से संशोधित समझा जाये, अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

--2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-12/सा-3-1005 (1)/दस-2014-308/97 टी0सी0, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2- सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।।
12- उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in